ड्रेजिंग से पर्यावरण पर होनेवाले प्रभावों पर हुई जन सुनवाई

प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष श्री के. आर. रविचंद्रन जी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई ।

सभी उपस्थितों ने माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेलजी को इस कार्य के लिए एक सूर में दिया धन्यवाद।

दीव, 16 नवम्बर, 2019 :- आज दीव में श्री के. आर. रविचंद्रन मुख्य वन संरक्षक एंव अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण समिति, दमण एवं दीव की अध्यक्षता में वणांकबारा एवं घोघला में किए जानेवाले ड्रेजिंग के लिए पर्यावरण क्लीयरेंश पर जन सुनवाई हुई । यह जन सुनवाई समाहर्तालय के सभागार में सायं 04 बजे शुरू हुई जिसमें मत्स्य एवं बंदरगाह सचिव श्री दानिश अशरफ, दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय, जिला पंचायत के प्रमुख श्री शशिकांतभाई सोलंकी, दीव नगरपालिका प्रमुख हितेशभाई सोलंकी, जिला पंचायत उप प्रमुख श्रीमती अश्विनी भरत, ड्रेजिंग कारेपोरेशन ऑफ इंडिया से संयुक्त प्रबंधक (ऑपरेशन) श्री एस. रविकुमार एवं संयुक्त प्रबंधक (मार्केटिंग) श्री गिरिश कुमार नायक, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान से वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री राकेश कुमार, उप समाहर्ता हरमिंदर सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव रिखारी, ग्राम पंचायात के सरपंच एवं सदस्य गण, चुने हुए जनप्रतिनिध, मछुवारा मंडली के प्रमुख तथा बोट एसोसियेशन के प्रमुख तथा वणांकबारा तथा घोघाला एवं दीव के प्रबुद्ध नागरिक उपलब्ध रहे।

बैठक के प्रारंभ में मामलतदार एवं कार्यालयाध्यक्ष ने वणांकबारा एंव घोघला में होनेवाले ड्रेजिंग के बारे में सिल-सिलेवार ढंग से प्रजेंटेशन के माध्यम से रखा और और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई और गहराई के बारे में संबको बताया । बैठक में इस विषय पर विशेष रूप से जोर दिया गया कि इस ड्रेजिंग के कारण पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ।

बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने प्रशासन के इस कदम को सराहा और माननीय प्रशासक का एक सूत्र में धन्यवाद किया । प्रशासन द्वारा यहॉ की जनता की बहुत दिनों से चली आ रही मॉग को पूरा करने का प्रयास किया गया है । आज प्रशासक महोदय के सक्रियता से इस काम में सफलता मिली है । हम तहेदिल से प्रशासक महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। बैठक में अपील किया गया कि जितना जल्दी हो पर्यावरण मंत्रालय से क्लीयरेंस लेकर इस काम को शुरू किया जाए । जिला पंचायत प्रमुख श्री शशिकांतभाई सोलंकी, नगरपालिका प्रमुख श्री हितेशभाई सोलंकी, जिला पंचायत उप प्रमुख श्रीमती अश्विनी भरत तथा ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा भी प्रशासक के इस कदम को सराहा गया ।

सबकी सुझावों को सुनने के बाद मुख्य वन संरक्षक एवं अध्यक्ष श्री के. आर. रविचंद्रन ने कहा कि उनकी हर समस्याओं को पहले से ही प्रशासन ने समझा है और ड्रेजिंग से पर्यावरण पर होनेवाले प्रभावों का पूरी अच्छी तरह से संबंधित विभागों और संस्थानों द्वारा अध्ययन एंव आकलन किया गया है।

बैठक में मत्स्य एवं बंदरगाह सचिव श्री दानिश अशरफ ने कहा कि यह एक कैपिटल ड्रेजिंग है और एक बार ड्रेजिंग हो जाने के बाद इसका रख-रखाव भी संबंधित एजेंसीज के द्वारा समय-समय पर कराया जाएगा। ड्रेजिंग के दौरान निकलने वाले पदार्थो का समद्र में ही उचित जगह पर निपटान किया जाएगा जिससे ड्रेजिग वाला एरिया प्रभावित न हो । इसमें आपके हर समस्याओं का ध्यान रखा गया है।

अंत में दीव जिला समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने जन सुनवाई में उपस्थित सभी का धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि जल्दी ही पर्यावरण मंत्रालय से क्लीयरेंश के बाद ड्रेजिंग का कार्य शुरू हो जायेगा ।